

## प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षा) योजना द्वारा जनपद में संचालित समस्त विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं में संस्थागत रूप से अध्ययनरत नवीन/नवीनीकरण के पात्र छात्र/छात्राओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर छात्र द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में आवेदन जमा करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा नियमानुसार एक्सेप्ट/रिजेक्ट करने एवं ऑनलाइन अग्रसारण करने की अन्तिम तिथि बढ़ गई है जो समस्त सम्पादकों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में छात्र/छात्राओं के हित में प्रकाशित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति निम्नवत है:-

योजना का नाम	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन को सब्मिट करने की अन्तिम तिथि	संस्था द्वारा छात्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि	नवीनीकरण छात्र/छात्राओं द्वारा हाईस्कूल की मार्कसीट में छात्र के नाम की स्पेलिंग एवं स्पेस के अनुसार आधार कार्ड में संशोधन कराने के उपरान्त (किसी भी तरह से नाम का पूर्ण परिवर्तन न किया जाये) हाईस्कूल का अंक पत्र एवं संशोधित आधार कार्ड शिक्षण संस्था से प्रमाणित कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5
1-पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10)	01.12.2020	07.12.2020	14.12.2020	01.12.2020
2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षा)	15.12.2020	22.12.2020	29.12.2020	15.12.2020

४७

(मो0 जीशान मलिक)  
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  
रामपुर।

### कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर।

पत्रांक २१९  
प्रतिलिपि

/पि0व0क0/छात्रवृत्ति प्रेस विज्ञप्ति/2020-21

दिनांक ०५ दिसम्बर, 2020

- 1-निदेशक, महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-जिलाधिकारी महोदय रामपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी महोदय रामपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-उप निदेशक, महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5-जिला सूचना अधिकारी, महोदय रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में (संस्थागत रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के हित में) निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 6-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०), रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7-सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान रामपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को छात्र/छात्राओं के हित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  
रामपुर।